रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 1999/श्रावण 21, 1921

No. 407] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 1999/SRAVANA 21, 1921

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1999

सा.का.नि. 586 (अ).—भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग की 20 मई, 1999 की अधिसूचना सं.-371 (ई) जो भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में 20 मई, 1999 को प्रकाशित हुई थी के :—

(1) **पृष्ठ 4 पर**

पैरा 6 में "पांच सौ रुपये होगी" शब्दों के पश्चात् "जिसकी अधिकतम सीमा सात हजार पांच सौ रुपये है" पंक्ति को जोड़ लिया जाए।

(2) इसी पैरा के दूसरे उप-पैरा की दूसरी पंक्ति को "प्रत्येक" शब्द से इस प्रकार पढ़ा जाए "प्रत्येक स्थान के लिए अधिकतम फीस दो सौ पचास रुपये होगी।"

[फा. सं. 19-3/96-पी पी-I (खंड 3)]

पी० डी० सुधाकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th August, 1999

G.S.R. 586 (E).—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation No. 371 (E), dated 20th May, 1999 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 20th May, 1999 :—

(1) at page 18

in para 6, *for* "the licence is applied" *read* "the licence is applied subject to a maximum of rupees seven thousand five hundred";

(2) at page 19

for lines 2 and 3 *substitute* "house hold purposes and registered as such shall be rupees two hundred fifty for every place."

[F. No. 19-3/96-PP. I (Vol. III)]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.